न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 144/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. लालसिंह पुत्र जयनारायण

2. रामानन्द पुत्र जयनारायण

3. मूर्ती पत्नी जयनारायण जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 बोहडू पुत्र घीसा

2 कुडीया पुत्र घीसा जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर

3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 30.6.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 1 व 2 :– श्री संतोष बंसल

निर्णय दिनांक 30/8/19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 246/16 में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत तकासमा प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 128, 129, 130 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर पक्षकारान संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है, जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । प्रतिवादीगण शामलात में खेती करने में मजाहमत पैदा करते हैं । अतः तकासमा की डिक्री प्रदान की जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये हैं, जिसके खिलाफ यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्ते पेश करने वकालतनामा एवं जवाब दावे के लिए नियत थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब दावा प्रस्तुत किये बिना ही इकतरफा में निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट प्रतिवादी की तामील नहीं कराई गई । सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । मौका कमिश्नर मौके पर नहीं गया । मौके अनुसार मौका नक्शा तैयार नहीं किया गया । अपीलाधीन निर्णय विधिसंगत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कथन है कि इनके तामील कराई गई है । मौका अनुसार मौका नक्शा तैयार किया गया है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसंगत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य ऐतराज यह है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.6.17 का अवलोकन किया । इसमें अंकित किया गया है कि वकील वादीगण उपस्थित आये । सुना गया । इस ऑर्डर शीट में कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण उपस्थित आये अथवा नहीं, उनकी तामील हुई है अथवा नहीं । प्रतिवादीगण की उपस्थिति के बारे में किसी प्रकार का अंकन ना करना यही प्रकट करता है कि उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विपक्षी को सुने बिना पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय अविधिक होता है । अतः प्रतिवादीगण अपीलांट की सुनवाई करके पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 4.10.2017 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner